(80)

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

प्र0कं0...../निगरानी/15-16

रामनारायण आ. श्री हरिप्रसाद आयु वयस्क
निवासी-ग्राम बडवाई तहसील हुजूर
जिला-भोपाल.

.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. सीताराम आ. श्री हीरालाल आयु वयस्क
निवासी-माधवी गौतम स्कूल के सामने
करोद चौराहा भोपाल कृषक ग्राम परेवाखेडा
तहसील हुजूर भोपाल.
02. चिरोंजीलाल आ. श्री फुंदीलाल आयु वयस्क
निवासी ग्राम विसनखेडी तहसील हुजूर भोपाल
03. हरविंदर सिंह आ. त्रिलोचन सिंह आयु वयस्क
निवासी ई-5/131, अरेरा कालोनी भोपाल.

.....उत्तरदातागण

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील हुजूर वृत-1 भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 17/अ-70/14-15 में पारित अलोच्य आदेश दिनांक 14.06.16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की हैं ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2501–पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–1–2018	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन प्रकरण कमांक 45/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11–5–2015 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक सहित अनावेदक कमांक 2 एवं 3 से दिलाये जाने का अनुरोध किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–70/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण के निराकरण तक तहसील न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14–6–16 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पड़ोसी कृषकों की अनुपस्थिति में किये गये सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना, उसकी अनुपस्थित में सीमांकन किया गया है, जो अवैध एवं शून्य है, जिसके विरूद्ध आवेदक की निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । अतः सीमांकन की कार्यवाही विवादित होने से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधिसंगत नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत	

किया गया कि तहसील न्यायालय का यह दायित्व था कि वे राजस्व मण्डल के समक्ष प्रचलित निगरानी प्रकरण के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं की जा रही कार्यवाही विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत पर विचार किया गया । इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 1516–पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 11–1–2018 के अनुसार अब यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष